पत्रांक–22/सी0–09/2016 सा0प्र0–.....11959...../

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव,
सभी प्रधान सचिव,
सभी सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक 30 अगस्त 2019.

विषयः – अनुकम्पा नियुक्ति मामलों में नाबालिग आश्रित द्वारा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र समर्पित करने की समय–सीमा में वृद्धि के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार अनुकम्पा के आधार पर आश्रित के द्वारा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र समर्पित करने की समय–सीमा के संबंध में राज्य सरकार के परिपत्र सं0–2822 दिनांक–27.04.1995 की कंडिका–06 में निम्नलिखित प्रावधान है :–

6–अनुकम्पा के आधार पर आश्रित के द्वारा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र समर्पित करने की समय–सीमा मृत सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि से 5 वर्ष तक ही रहेगी।

2. माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–4786/2016 आशीष कुमार गुप्ता–बनाम–बिहार राज्य एवं अन्य तथा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–4965/2016 राहुल मोदक–बनाम–बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक–18.08.2018 को पारित समेकित न्यायादेश में निम्नांकित अभिमत व्यक्त किया गया है :–

"In the aforesaid view of the matter, no error can be found in the decisions impugned in the two writ petitions. However, while upholding such decision, this Court would definitely ask the state to again address itself on the issue for bringing about appropriate amendment in the Rules governing the scheme of compassionate appointment especially where children of government employees are orphaned at a very tender age. In fact, it is perhaps catering to such situation that the scheme originally framed on 05-10-1991 did not stipulate any period for such application, which has been introduced vide amendment on 27-4-1995.

Considering that the claim of compassionate appointment is more in the nature of a social welfare measure, the respondent State through the Chief Secretary, the Social Welfare Department and the General Administration Department may well ponder over the necessity of appropriate amendment in the Rules governing the compassionate appointment for protecting the interest of minor dependants on the lines of the stipulation present in Rule 5 of the Karnataka Civil Services (Appointment on Compassionate Grounds) Rules, 1996 which while prescribing a limitation period for filing such application by adult dependants, also regulates the case of present kind where the minor

children of government employees are left to face the world by the death of the parents at an early age."

3. उपर्युक्त न्यायिक अभिमत में संदर्भित Karnataka Civil Service (Appointment on Compassionate Grounds) Rules, 1996 के नियम 5 का परन्तुक निम्नवत् है:–

" 5. Every dependant of a deceased government servant, seeking appointment under these Rules shall make an application within one year from the date of death of the government servant, in such form, as many be notified by the Government, from time to time, to the Head of the Department under whom the deceased government servant was working.

"Provided that in the case of a minor, application shall be made within a period of one year after attaining majority."

4. माननीय न्यायालय द्वारा उपर्युक्त मामले में दिनांक–18.08.2018 को पारित न्यायादेश में अंकित अभिमत के आलोक में Karnataka Civil Service (Appointment on Compassionate Grounds) Rules, 1996 के नियम 5 का संदर्भ लेते हुए बिहार सरकार के परिपत्र सं0–2822 दिनांक–27.04.1995 की कंडिका–06 में उल्लिखित अनुकम्पा मामलों में नाबालिग आश्रित द्वारा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र समर्पित करने की समय–सीमा में वृद्धि पर मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विचार किया गया।

5. सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अनुकम्पा के आधार पर आश्रित के द्वारा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र समर्पित करने की समय–सीमा के संबंध में राज्य सरकार के परिपत्र सं0–2822 दिनांक–27.04.1995 की कंडिका–06 में निम्नांकित परन्तुक जोड़ा जाय :–

"परन्तु यह कि मृत सरकारी सेवक के आश्रित के नाबालिग होने की स्थिति में यदि आश्रित के माता पिता दोनो जीवित नहीं हों, अथवा उसके जीवित माता या पिता (चाहे जैसी भी स्थिति हो) के द्वारा सरकारी सेवक की मृत्यु के समय सरकारी सेवा की अर्हता नहीं धारण की जाती हो तो नाबालिग आश्रित को बालिग होने के एक वर्ष के अन्दर अनुकम्पा नियोजन हेतु दावा प्रस्तुत करना अनुमान्य होगा।"

6. Indian Majority Act 1875 के Section- 3 (1) के अनुसार भारत में अधिवासित प्रत्येक व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र के पहले नहीं बल्कि 18 वर्ष की उम्र पूरी होने पर बालिग होगा।

7. उपर्युक्त के आलोक में अनुकम्पा के आधार पर आश्रित के द्वारा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र समर्पित करने की समय–सीमा के संबंध में राज्य सरकार के परिपत्र सं0–2822 दिनांक–27.04.1995 की कंडिका–06 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाने का प्रस्ताव है :–

"परन्तु यह कि मृत सरकारी सेवक के आश्रित के नाबालिग होने की स्थिति में यदि आश्रित के माता पिता दोनो जीवित नहीं हों, अथवा उसके जीवित माता या पिता (चाहे जैसी भी स्थिति हो) के द्वारा सरकारी सेवक की मृत्यु के समय सरकारी सेवा की अर्हता नहीं धारण की जाती हो तो नाबालिग आश्रित को बालिग होने के एक वर्ष के अन्दर अनुकम्पा नियोजन हेतु दावा प्रस्तुत करना अनुमान्य होगा।"

विश्वासभाजन

(राजेन्द्र राम) 21/8/19

सरकार के अपर सचिव।